

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक / मान्यता / 48429-48432 / 2018-19
प्रबन्धक,

दिनांक : 09 मार्च, 2019

आरोआरोबी० पब्लिक स्कूल,
इट्रौरा, करछना, प्रयागराज।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय / महोदया,


आपके तारीख 21-08-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं आरोआरोबी० पब्लिक स्कूल, इट्रौरा, करछना, प्रयागराज को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक खाता रखेगा।
5. सोराइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्बूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम के धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और
 - viii. अध्यापक रखय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
 - i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - ii. कुल निर्मित क्षेत्र
 - iii. क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल


Manager

R.R.B. Public School
Itaura, Karchhana, Prayagraj


PRINCIPAL
R. R. B. Public School
Itaura, Karchhana, Prayagraj

iv.	कक्षाओं की संख्या	—	10
v.	प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष	—	है
vi.	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	—	है
vii.	पेयजल सुविधा	—	है
viii.	मिड डे मील पकाने के लिए रसोई	—	है
ix.	बाधारहित पहुंच	—	है
x.	अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्तों/पुस्तकालय की उपलब्धता	—	है
9.	विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।	—	है
10.	विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	—	है
11.	विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या—ए.एल.एल./05089/2018-19 दिनांक 09.10.2018, द्रोण अर्जुन एजूकेशनल एवं वेलफेयर सोसाइटी, 02 विनोवा नगर, नैनी, प्रयागराज)	—	है
12.	रकूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।	—	है
13.	विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए।	—	है
14.	आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 341 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।	—	है
15.	विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।	—	है
16.	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।	—	है
17.	संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।	—	है

भवदीय

संजय कुमार कुशवाहा
(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज।

पृष्ठा/ मान्यता/

/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-- सचिव, उठोप्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 2-- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 3-- खण्ड शिक्षा अधिकारी, चाका, प्रयागराज।
- 4-- कार्यालय गार्ड फाइल।

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज।

R.R.B. Public School
Itaura, Karchhana, Prayagraj

PRINCIPAL
R. R. B. Public School
Itaura, Karchhana, Prayagraj